हिन्दू विधि (Hindu Law) हिन्दू धर्म और संस्कृति से संबंधित कानूनी सिद्धांतों और नियमों का संग्रह है। यह मुख्य रूप से दो भागों में बंटा हुआ है:

1. धार्मिक विधि (Religious Law): यह धार्मिक आस्थाओं और कर्तव्यों से संबंधित है, जैसे पूजा-पाठ, व्रत, तीर्थ यात्रा, आदि। हिन्दू धर्म में धार्मिक विधि को धर्मशास्त्रों द्वारा निर्देशित किया जाता है, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, और पुराण। इनका उद्देश्य व्यक्ति के आचार-व्यवहार को नियंत्रित करना है और उसे धर्म के अनुरूप जीवन जीने की प्रेरणा देना है।

2. सामाजिक और व्यक्तिगत विधि (Social and Personal Law): यह व्यक्तिगत जीवन, विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण आदि से संबंधित है। हिन्दू विधि में इन विषयों पर निर्णय देने वाले प्रामाणिक ग्रंथों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और व्यास स्मृति प्रमुख हैं। इनमें व्यक्ति के सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।

हिन्दू विधि के प्रमुख अंग हैं:

विवाह और परिवार कानून: हिन्दू विवाह कानून, जो विवाह, तलाक, दहेज, और संतान के अधिकारों से संबंधित है।

वसीयत और संपत्ति का अधिकार: यह व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार, वसीयत, उत्तराधिकार और संपत्ति वितरण से संबंधित है।

दत्तक ग्रहण और गोद लेना: हिन्दू विधि में गोद लेने के नियम और दत्तक पुत्री-पुत्र का अधिकार भी स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

आजकल, हिन्दू विधि भारत में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, और हिन्दू दत्तक ग्रहण और पालन-पोषण अधिनियम, 1956 जैसे क़ानूनों द्वारा लागू किया जाता है। ये क़ानून हिन्दू धर्म के तहत लोगों के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में न्याय सुनिश्चित करते हैं।